न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 10/18

1. हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 2 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि. एवं 136 भू.राज.अधि.

उपस्थितिः–

1. श्री संजय कालीराणा वकील वादी
2. श्री सिकन्दर सिंह सवना वकील वादी

निर्णय दिनांकः– 25-11-19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि. एवं 136 भू.राज.अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 15 एसएडी के खाता सं. 9/8 के पं.नं. 200/354 के मु.नं. 85 के कि.नं. 1 ता 25 में वादी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि वादी हनुमान उर्फ चैनाराम वल्द सुरजाराम के नाम दर्ज है एवं चक 2 एमके की जमाबन्दी के खाता सं. 63/58 के पं.नं. 125/283 मु.नं. 30 कि.नं. 6, 7, 8/1 की 0.632 है0 एवं पं.नं. 124/283 मु.नं. 31 कि.नं. 4, 7, 14, 17/1 में 0.079 है0 व 18/1 में 0.080 है0 कुल 0.846 है0 कुल 1.478 है0 मुझ वादी के नाम हनुमान उर्फ चैनाराम के नाम दर्ज है व चक 2 एमके के खाता सं. 22/23 के पं.नं. 126/283 मु.नं. 29 की 0.506 है0, पं.नं. 123/283 के मु.नं. 32 की 3.770 है0 व पं.नं. 120/285 के मु.नं. 52 कुल 5.718 है0 भूमि वादी चौथुराम वल्द सुरजाराम के नाम दर्ज है की दुरूस्ती कर उपरोक्त तीनों खातों में वादी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 2 एमके का नाम दर्ज किया जावे। इसी आशय की डिक्री जारी की जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रतिवादी राज्य पक्ष की ओर से राजपैरोकार की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आयाकि विवादित भूमि चक 15 एस ए डी जमाबन्दी सं. 2070–73 खाता सं. 9/8 पं.नं. 200/354 मु.नं. 85 की 6.199 है0 बारानी भूमि से 1/2 हिस्सा भूमि हनुमान पुत्र चैनाराम पुत्र सुरजाराम एवं चक 2 एमके की जमाबन्दी सं. 2068–71 खाता सं. 63/58 पं.नं. 125/283 मु.नं. 30 की कुल 1.478 है0 भूमि हनुमान पुत्र चैनाराम एवं चक 2 एमके जमाबन्दी सं. 2068–71 खाता सं. 22/23 पं.नं. 126/283 मु.नं. 29 में 3.770 है0 पं.नं. 120/285 मु.नं. 52 में 1.442 कुल 5.718 है0 भूमि वादी का नाम चौथुराम पुत्र सुरजाराम खातेदारी दर्ज है ?

– वादी

2. आयाकि वादी को बचपन में चौथुराम के नाम से पुकारते थे तथा ईकरारनामा की रूह से हुए बैयनामा चक 15 एसएडी का मु.नं. 85 में वादी का नाम हुनमान पुत्र चैनाराम लिख दिया था। जो सहवन से लिखा गया था ?

–वादी

3. आयाकि वादी चौथु –चौथा एक ही नाम है तथा चौथु –चौथा का सही नाम हनुमान प्रसाद होने से जमाबन्दी में चौथु–चौथा एवं हनुमान पुत्र चैनाराम का नाम

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

विलोपित कर सही नाम हनुमान प्रसाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है ?

–वादी

4. आयाकि वादी चौथू–चौथा एवं हनुमान पुत्र चैनाराम के स्थान पर हनुमान प्रसाद दर्ज कराकर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है ?

–राजपैरोकार

5. आयाकि वादी अपना नाम चौथू–चौथा, हनुमान पुत्र चैनाराम दुरूस्त कराकर हनुमान प्रसाद की संशोधन लिपकीय भूल नही होने से वाद खारिज योग्य है ?

–राजपैरोकार

6. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में शपथ पत्र हनुमान प्रसाद गवाह बृजलाल व देवीलाल के पेश किये गये एवं प्रदर्श–1 जमाबन्दी चक 15 एसएडी खाता सं. 9/8 संवत 2070–73, प्रदर्श–2 जमाबन्दी चक 2 एमके खाता सं. 65/63 संवत 2072–75, प्रदर्श–3 जमाबन्दी चक 2 एमके खाता सं. 25/22 संवत 2072–75, प्रदर्श–4 बैयनामा चक 15 एसएडी मु.नं. 85 पं.नं. 200/354 1/2 हिस्सा भूमि 12.05 बीघा भूमि, प्रदर्श–5 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत उडसर दिनांक 15.04.19, प्रदर्श–6 आधार कार्ड, प्रदर्श–7 वोटर आई डी, प्रदर्श–8 भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–9 ए राशन कार्ड, प्रदर्श–10 ए बैंक पास बुक प्रदर्श करवाए गये।

बहस वकील वादी सुनी गई वकील वादी ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हनुमान उर्फ चैनाराम पुत्र सुरजाराम व चौथुराम पुत्र सुरजाराम के स्थान पर जमाबन्दी में हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 2 एमके के नाम की दुरूस्ती कर इसी आश्य की डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से हैः–

1. आयाकि विवादित भूमि चक 15 एस ए डी जमाबन्दी सं. 2070–73 खाता सं. 9/8 पं.नं. 200/354 मु.नं. 85 की 6.199 है0 बारानी भूमि से 1/2 हिस्सा भूमि हनुमान पुत्र चैनाराम पुत्र सुरजाराम एवं चक 2 एमके की जमाबन्दी सं. 2068–71 खाता सं. 63/58 पं.नं. 125/283 मु.नं. 30 की कुल 1.478 है0 भूमि हनुमान पुत्र चैनाराम एवं चक 2 एमके जमाबन्दी सं. 2068–71 खाता सं. 22/23 पं.नं. 126/283 मु.नं. 29 में 3.770 है0 पं.नं. 120/285 मु.नं. 52 में 1.442 कुल 5.718 है0 भूमि वादी का नाम चौथुराम पुत्र सुरजाराम खातेदारी दर्ज है ?

– वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा जमाबन्दी चक 15 एसएडी खाता सं. 9/8 सम्वत 2070–73 प्रदर्श–1 करवाई गई। जिसमें वादी का नाम हनुमान उर्फ चैनाराम पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एमके खाता दर्ज है एवं चक 2 एमके की जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता सं. 65/63 प्रदर्श–2 करवाई गई। जिसमें वादी का नाम हनुमान उर्फ चौथाराम पुत्र सुरजाराम कौम बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी चक 2 एम के खाता सं 25/22 प्रदर्श–3 करवाई गई। जिसमें वादी का नाम चौथुराम पुत्र सुरजाराम बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज है। अतः इस प्रकार उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आयाकि वादी को बचपन में चौथुराम के नाम से पुकारते थे तथा ईकरारनामा की रूह से हुए बैयनामा चक 15 एसएडी का मु.नं. 85 में वादी का नाम हुनमान पुत्र चैनाराम लिख दिया था। जो सहवन से लिखा गया था ?

–वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी ने इस संबंध में गवाह बृजलाल व देवीलाल के शपथ पत्र पेश किये। जिन्होने शपथ पत्र में अंकित किया कि

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

हनुमान प्रसाद को हनुमान व चैनाराम के नाम से जाना व पहचाना रहा है। स्वयं वादी ने अपने ब्यानों में कहा कि मुझ वादी को बचपन में चौथु या चौथा नाम से पुकारा जाता है। ईकरारनामा दिनांक 02.06.87 चक 15 एसएडी में भी चौथुराम पुत्र सुरजाराम के नाम से करवाया गया। इसके अलावा प्रदर्श–5 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत उडसर दिनांक 15.04.19 के अनुसार हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमान उर्फ चौथाराम उर्फ चौथुराम उर्फ चैनाराम पुत्र सुरजाराम नाम वादी हनुमान प्रसाद के ही है। अतः इस प्रकार वादी को कई नामों से पुकारा जा रहा है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आयाकि वादी चौथु –चौथा एक ही नाम है तथा चौथु –चौथा का सही नाम हनुमान प्रसाद होने से जमाबन्दी में चौथु–चौथा एवं हनुमान पुत्र चैनाराम का नाम विलोपित कर सही नाम हनुमान प्रसाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है ?

–वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। तनकी सं. 1 व 2 में पूर्व में विवेचना की जा चुकी है। अतः तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. आयाकि वादी चौथू–चौथा एवं हनुमान पुत्र चैनाराम के स्थान पर हनुमान प्रसाद दर्ज कराकर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है ?

–राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्व करने का भार राजपैरोकार पर था। राजपैरोकार द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नही है। इसलिए वाद वादी खारिज किया जावे। जबकि रिपोर्ट तहसीलदार भू.अ.क्रमांक/3099 दिनांक 19.08.19 अनुसार वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य प्रदर्श–6 से प्रदर्श–9 ए व 10 वादी का नाम हनुमान प्रसाद उर्फ सुरजाराम दर्ज है। इस प्रकार वादी को कई नामों से पुकारा जाता रहा है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. आयाकि वादी अपना नाम चौथू–चौथा, हनुमान पुत्र चैनाराम दुरूस्त कराकर हनुमान प्रसाद की संशोधन लिपकीय भूल नही होने से वाद खारिज योग्य है ?

–राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्व करने का भार राजपैरोकार पर था। राजपैरोकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह सावित होता हो कि वादी अपना नाम चौथु, चौथा, चैनाराम पुत्र सुरजाराम दुरूस्त करवाकर जमावन्दी में हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजाराम करवाने का पात्र नही हो। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर साबित होता है कि वादी को उपरोक्त नामों से पुकारा जाता है। अतः राजपैरोकार साबित नही की जाने के कारण वादी वादी खारिज योग्य नही बनता है। इसलिए उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

6. अनुतोष ?

अतः तनकी सं. 1 ता 5 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जा चुका है। प्रदर्श–5 ता 8 व 9 ए से 10 ए में वादी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजाराम अंकित है। उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। चक 15 एसएडी के खाता सं. 9/8 के पं.नं. 200/354 के मु.नं. 85 के कि.नं. 1 ता 25 में वादी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि वादी हनुमान उर्फ चैनाराम वल्द सुरजाराम के स्थान पर हनुमान प्रसाद सुरजाराम व चक 2 एमके की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता सं. 63/58 के पं.नं. 125/283 मु.नं. 30 कि.नं. 6, 7, 8/1 की 0.632 है0 एवं पं.नं. 124/283 मु.नं. 31 कि.नं. 4, 7, 14, 17/1 में 0.079 है0 व 18/1 में 0.080 है0 कुल 0.846 है0 कुल 1.478 है0 वादी के नाम हनुमान उर्फ चैनाराम के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 2 एमके की एवं चक 2 एमके की जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता सं. 22/23 के पं.नं. 126/283 मु.नं. 29 की 0.506 है0, पं.नं. 123/283 के मु.नं. 32 की 3.770 है0 व पं.नं.

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

120/285 के मु.नं. 52 कुल 5.718 है0 भूमि में वादी चौथुराम वल्द सुरजाराम के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजाराम की दुरूस्ती कर उपरोक्त तीनों खातों में वादी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी 2 एमके का नाम दर्ज किया जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25-11-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 16:54:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: